भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 482

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

तमिलनाडु में सीआरएस

482. श्री मलैयारासन डी.:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के कार्यान्वयन और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और राज्य में अब तक कितने सीआरएस स्थापित किए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में इन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की पहुँच और कवरेज का ब्यौरा क्या है और वे स्थानीय समुदायों को किस प्रकार लाभान्वित कर रहे हैं;

(ग) तमिलनाडु में विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन स्टेशनों द्वारा प्रसारित की जा रही विषय-वस्तु का ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीआरएस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं सहित स्थानीय आबादी के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हो; और

(ङ) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के कार्यान्वयन में लाइसेंसिंग संबंधी मुद्दों, अवसंरचना की बाधाओं या वित्तीय स्थिरता जैसी चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार एक नीति के तहत सामुदायिक रेडियो लाइसेंस प्रदान करती है जो वेबसाइट https://mib.gov.in/ministry/our-wings/broadcating-wing पर उपलब्ध है।

इस नीति के अनुसार, गैर-लाभ अर्जक संगठनों द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन, स्थानीय समुदाय की तीन वर्षों की सेवा के सिद्ध रिकार्ड के साथ स्थापित किए जा सकते हैं। नीति में यह निर्धारित किया गया है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को शैक्षणिक, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए।

सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सहायता करती है। बाढ़, चक्रवात या बिजली गिरने जैसी आपात स्थितियों में भी सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार 50.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम लागू कर रही है। इसे मौजूदा और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. नए स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को तीन महीने तक प्रचालनरत रहने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. पांच वर्ष से अधिक समय से संचालित स्टेशन को पुराने उपकरणों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
3. कार्यशालाओं, वेबिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता।
4. सीआर हितधारक आपस में एक दूसरे से सीख सके इसके लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों को जोड़ना।

सरकार ने देश भर में 540 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्वीकृति दी है। इनमें से 48 स्टेशन तमिलनाडु के 24 जिलों में स्थित हैं। ये स्टेशन आपदा प्रबंधन, समुद्री संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को कुल 40,03,098/- रुपये की राशि जारी की गई है।

*****